प्रेसनोट थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम एवं एसओजी टीम द्वारा हत्या में वांछित रू0 10,000/– के इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

दिनांक 28.05.2021 को वादी सूरज सिंह पुत्र मोहन सिंह नि0 कृष्णा कुन्ज कालौनी विहार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा द्वारा तहरीर दी गयी कि मेरा भान्जा शिवम पुत्र जितेन्द्र सिंह नि0 ज्योति कुन्ज कालौनी नियर राधिका गार्डन थाना आगरा में निवास करता है। आज शाम को आलोक यादव, सनी देवल उर्फ चन्द्रसेन, सिम्बा नट, निमेश, सोनू व टीटू आदि लोगों के द्वारा षड़यंत्र के तहत अस्सी फुटा रोड काशीराम कालौनी पर शिवम को बुलाया था। शिवम अपने दोस्त के साथ ईको कार से अस्सी फुटा रोड पर गया जहां, उन्होंने शिवम के गोली मार दी, हॉस्पीटल ले जाते समय शिवम की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला पर मु0अ0सं0 356/21 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त सभी अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था एवं निमेश चौहान लगातार फरार चल रहा था।

फरार/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में एसओजी टीम व थाना प्रभारी एत्माद्दौला को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 10.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि कुछ दिन पहले काशीराम कालौनी टंकी के पास जो मर्डर हुआ था उससे संबंधित अभियुक्त निमेश 80 फुटा तिराहे पर कहीं जाने के फिराक में खड़ा हुआ है यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण :–

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख अभियुक्त भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा चोरों ओर से घेर कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना एत्माद्दौला मु0अ0सं0 465/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि यह तमंचा मुझे मेरे साथी आलोक यादव ने दिया था, जिसे मैं मृतक शिवम के साथ हुयी हत्या की घटना में साथ लेकर गया था।

विशेष :– श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिनांक 23.06.2021 को अभियुक्त निमेश उपरोक्त पर रू0 10,000/– का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

01. निमेश चौहान पुत्र मुकेश चौहान नि0 अशोपा हॉस्पीटल के पीछे गैलाना रोड थाना न्यू आगरा जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :–

01. 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
02. उ0नि0 कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी टीम जनपद आगरा।
03. उ0नि0 मयंक चौधरी थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
04. उ0नि0 योगेश कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
05. उ0नि0 अनुज कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
06. हे0का0 रियाज खान, का0 विपिन कुमार, का0 लोकेश कुमार, का0 मुकुल शर्मा, का0 वसीम अकरम, का0 राकुल, का0 मानवेन्द्र उपाध्याय एसओजी टीम जनपद आगरा।
07. का0 केडी बाबू थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।
08. का0 मनोज कुमार थाना एत्माद्दौला जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा